हिन्दू विवाह कानून

विवाह पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है। विवाह के मामले में भी कानून लागू होता है और आपको सुरक्षा देता है किसी भी धर्म पर जो कानून लागू होता हो, उसी के अनुसार विवाह करना जरूरी है।

सभी हिन्दुओं पर हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 नामक कानून लागू होता है। यह कानून हमें यह बतलाता है कि हिन्दू विवाह किस तरह होता है, इस कानून में कौन-कौन विवाह कर सकते हैं और विवाह कानूनन सही कब होता है। यह कानून हमें यह भी बताता है कि जब विवाहित जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हों तो कानून क्या सहायता कर सकता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार कौन-कौन विवाह कर सकते हैं?

- ❖ हिन्दू चाहे वे किसी भी जाति या सम्प्रदाय के हों,
- ❖ बौद्ध,
- ❖ जैन,
- ❖ सिख,
- ❖ कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना मूल धर्म त्याग कर हिन्दू धर्म अपनाया हो।

आमतौर पर अनुसूचित जन जातियों पर यह कानून लागू नहीं होता। हां, सरकार किसी भी जन जाति पर इसे एक विशेष आदेश द्वारा लागू कर सकती है।

हिन्दू विवाह किस तरह सम्पन्न होता है?

- ❖ हिन्दू विवाह वर और कन्या के समाज में प्रचलित रस्मों-रिवाज के मुताबिक होना चाहिए।
- ❖ आमतौर से हिन्दू विवाह होम, यज्ञ, हवन इत्यादि से और सप्तपदी द्वारा होता है। सप्तपदी यानि, वह और कन्या पर मिलकर अग्निदेवता के आगे सात कदम चलना।

क्या इसका मतलब है कि यदि सप्तपदी न हुई हो तो विवाह वैध नहीं होगा?

नहीं! हर सामज के अपने रस्म-रिवाज होते हैं। इसमें से कुछ को कानून मानता है। उनके अनुसार की गयी शादी कानून को मंजूर होती है। अगर आपके रीति-रिवाज में सप्तपदी की विधि शामिल है, तभी सप्तपदी का होना जरूरी बनता है। वरना आपका विवाह आपके समाज में प्रचलित रिवाज और विधियों के मुताबिक किया जा सकता है। हां आपका रिवाज आपके समाज में एक लम्बे अरसे से चला आ रहा होना चाहिए और कानूनी तौर से मान्य होना चाहिए। अगर वर और कन्या के अलग-अलग रस्म-रिवाज हैं, तो दोनों में से किसी एक के रस्मों के मुताबिक शादी हो सकती है।

यदि दो व्यक्ति रस्मों-रिवाजों से हटकर विवाह करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए?

'विशेष विवाह अधिनियम, 1954' एक कानून है जिससे विवाह अदालत में किया जाता है। जो लोग रस्मों-रिवाजों से हटकर शादी करना चाहें, या जिनके रस्म-रिवाज अलग हों, या जो अलग-अलग धर्मों के हों, इस कानून से शादी कर सकते हैं। यह विवाह कानूनन मान्य और वैध होगा। अदालत से शादी का प्रामण-पत्र दिया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति अपनी रस्मों के अनुसार विवाह नहीं करता है तो क्या होगा?

ऐसे विवाह को नहीं माना जायेगा।

गोपाल राधा से विवाह करना चाहता था। परन्तु, राधा के माता-पिता राजी नहीं थे। गोपाल राधा को लेकर मंदिर गया और वहां उसने राधा के गले में फूलों का हार डाला। राधा ने भी गोपाल को फूल माजा पहनाई। गोपाल ने राधा की मांग में सिन्दूर भरा और दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद गोपाल ने राधा से कहा कि वह अब उसकी पत्नी है और वे दोनों जो चाहें कर सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि राध गर्भवती हो गई। लेकिन बाद में गोपाल ने उसे अपने पास रखने से इन्कार कर दिया।

क्या गोपाल और राधा का वास्वत में विवाह हुआ था?

नहीं! यह विवाह कानूनी विवाह नहीं माना जा सकता, क्योंकि गोपाल और राधा के समाज में विवाह सप्तपदी से सम्पन्न होता है। इसलिए गोपाल और राधा के विवाह के लिए सप्तपदी की रस्म पूरी करना जरूरी है।

हिन्दू विवाह कानून के अन्तर्गत विवाह करने के लिए कौन-कौन सी शर्तें हैं?

इस कानून के अनुसार विवाह होने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर विवाह की इन शर्तों को न माना जाये तो वह विवाह कानूनी रूप से विवाह माना ही नहीं जायेगा। कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके न होने से ऐसा माना जायेगा कि विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये बातें हैं-

❖ वर और कन्या दोनों का हिन्दू होना जरूरी है। यदि दोनों में से केवल एक ही हिन्दू है तो वह इस कानून से शादी नहीं कर सकता।

ललिता ने महमूद के साथ हिन्दू रस्मों के अनुसार शादी की। कानून इसे शादी नहीं मानेगा। ललिता और महमूद को 'विशेष विवाह अधिनियम' के अनुसार शादी करनी चाहिये।

❖ वर और कन्या दोनों की पहले शादी नहीं हुई हासेनी चाहिए। इसका मतलब कि विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी या कन्या का कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए। तलाकशुदा व्यक्ति, या जिसके पति या जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी हो, दोबारा विवाह कर सकते हैं।

क्या विधवा शादी कर सकती है?

हां, विधवा भी और महिलाओं की तरह ही दोबारा शादी कर सकती है। कुछ समाजों में विधवा की शादी की अलग रस्में होती हैं। इन सभी रस्मों से की गई शादी को कानून मानता है। परन्तु विधवा अविवाहित महिलाओं की तरह ही अपने या वर के समाज के रीति रिवाजों के मुताबित भी शादी कर सकती है।

❖वर और कन्या एक दूसरे के नजीदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए।

हिन्दू कानून में नजदीकी रिश्तेदारों के बीच का विवाह, जैसे कि चाचा, मामा, मौसी या बुआ के लड़के-लड़कियों के बीच का विवाह वैद्य नहीं माना जायेगा। परन्तु किसी के सामाजिक रिवाज के अनुसार यदि ऐसे विवाह को मंजुरी दी गयी है तो वे अपने नजदीकी रिश्ते में विवाह कर सकते हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लड़की का विवाह उसके मामा के साहा हो सकता है। यह वहां का माना हुआ रिवाज है। उसी तरह भारत में कई जगह स्त्री के विधवा हो जाने पर उसकी शादी उसके पति के भाई के साथ हो सकती है।

हां, यह बात जरूर याद रखें- आपके समाज में रिवाज न होने पर आप अपने नजदीकी रिश्ते में विवाह नहीं कर सकते। ऐसा विवाह वास्तव में विवाह नहीं माना जायेगा।

❖ वर की उम्र कम से कम 21 साल और कन्या की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम आयु के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध है।

ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार अगर शादी हो भी जाये, तो भी कुछ बातें और हैं जिनका होना जरूरी है। इन बातों के न होने से, कोई भी पीड़ित स्त्री या पुरुष कोर्ट से शादी रद्द करने की मांग कर सकती है या कर सकता है। यानि, जब तक शादी कोर्ट द्वारा रद्द नहीं की जाती, तब तक वह शादी मान्य नहीं होगी। ये बातें हैं-

❖ वर और कन्या दोनों मानसिक रूप से स्वास्थ्य होने चाहिये यानि वह विवाह के लिए सहमति देने के काबिल हों।

किसी पागल व्यक्ति को शादी करने की कानून में मनाही है क्योंकि वह यह नहीं जान सकता क्योंकि वह उसमें सहमति नहीं दे सकता और ना ही वह विवाहित जीवन निभा सकता है।

कई बार वर और कन्या एक दूसरे को विवाह के बाद ही देखते हैं। किसी व्यक्ति की शादी यदि किसी पागल से हो जाये, तो वह अदालत जाकर अपने विवाह को रद्द या खत्म कराने की मांग कर सकती है या कर सकता है। हां, अदालत में यह साबित करना पड़ेगा कि वर या कन्या शादी के समय पागल थे।

माला के मां-बाप ने माला की शादी रमेश से तय की थी। विवाह के बाद माला को पता चला कि रमेश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। रमेश यह भी नहीं समझता था कि माला से उसकी शादी हुई है। माला फौरन अपने मां-बाप के घर लौट आयी। माला के माता-पिता ने उसे रमेश के घर वापस नहीं भेजा। लेकिन गांव के लोगों का कहना था कि माला का विवाह रमेश से हो चुका है, इसलिए उसका रमेश के साथ रहना जरूरी है। माला के पिताजी वकील के पास गये और अदालत में मुकदमा दायर कर दिया।

अदालत ने अपना फैसला दिया कि रमेश विवाह के समय दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं था और माला विवाह के बन्धन से मुक्ति पा सकती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो वह अपनी जिन्दगी ऐसे जी सकती थी कि मानों उसका विवाह हुआ ही नहीं हो।

❖ **पति के नामर्दगी के कारण शादी परिपूर्ण न हुई हो। पति के नामर्द होने के कारण विवाह परिपूर्ण न हो तो पत्नी अदालत से विवाह को रद्द या शून्य घोषित करने की मांग कर सकती है।**

❖ **शादी धोखे या दबाव से हुई हो। स्त्री का विवाह दबाव डालकर, जबरदस्ती या छलपूर्वक कराया गया हो तो उसकी अर्जी पर अदालत विवाह रद्द या शून्य घोषित कर देगी।**

बिमला बाई का विवाह शंकरलाल से तय हुआ था। बिमला बाई के माता-पिता को बताया गया था कि शंकरलाल एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति और उसका परिवार सम्पन्न है। विवाह हो जाने के बाद उसे मालूम हुआ कि शंकर लाल अनपढ़ और शराबी है और उसके परिवार का कमाई का कोई साधन नहीं है। बिमला बाई ने इस धोखे के बारे में पता चलते ही एक साल के अन्दर कोर्ट में अर्जी दे दी। यह विवाह धोखे से हुआ था। बिमला बाई के विवाह को अदालत ने शून्य घोषित कर दिया।

वर की उम्र, वर की नौकरी या व्यवसाय या वर की किसी गम्भीर बीमारी की जानकारी जैसी जरूरी बातें आपसे छिपाई जायें या आपको गलत बताई जायें, तब भी माना जायेगा कि विवाह के लिए आपकी सहमति धोखे से ली गयी है।

डॉट-डराकर या जबरदस्ती विवाह करवाया जाता है तो इसे भी दबाव या जरबदस्ती से सहमति लेना कहेंगे। ऐसे में भी अदालत विवाह शून्य घोषित करेगी। हां, छल का पता चलते ही फौरन आपको अदालत जाना होगा। अगर धोखे की जानकारी होने के एक साल के समय के बाद अदालत में अर्जी दी जाये, तो अदालत अर्जी स्वीकार नहीं करेगी।

❖ अगर पत्नी शादी के समय किसी और पुरुष से गर्भवती थी तो पति शादी रद्द करने की अर्जी दे सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि शादी के समय पति को पत्नी की गर्भावस्था की जानकारी नहीं थी। यह अर्जी शादी के एक साल के बाद नहीं दी जा सकती। हां, अगर पति गर्भावस्था के बारे में जानने के बावजूद पत्नी के साथ संभोग करता है तो भी वह शादी रद्द करने की अर्जी नहीं दे सकता है।

विवाह का पंजीकरण

आप किसी भी रस्म से या फिर विशेष विवाह कानून से विवाह करें। फिर भी आपके विवाह का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) हो सकता है। विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों को मिलकर विवाह अधिकारी को एक अर्जी देनी होगी। अर्जी मिलने पर विवाह अधिकारी शादी की किताब में शादी के बारे में लिखेंगे और उसका प्रमाण-पत्र भी देंगे।

विवाह का पंजीकरण विवाह के बाद कभी भी करवाया जा सकता है। हां, इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए।

❖ पति-पत्नी ने किसी भी रस्म से विवाह किया हो, और तब से वे पति-पत्नी की तरह रह रहे हों।

❖ दोनों में से किसी के कोई और जीवित पति या पत्नी न हों।

❖ पंजीकरण के समय दोनों में से कोई पागल या मानसिक रूप से दुर्बल न हो।

❖ दोनों व्यक्ति कम से कम 21 साल के हों।

❖ दोनों व्यक्ति करीबी रिश्तेदार न हों।

❖ दोनों व्यक्ति विवाह अधिकारी के कार्यालय के जिले में कम से कम 30 दिन से रह रहे हों।

दूसरी शादी-कानूनी अपराध

पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। कई पुरुष एक पत्नी के होते दोबारा शादी

कर लेते हैं। कभी-कभी वह पत्नी की 'सहमति' से शादी करते हैं।

राधु और श्यामा की कोई सन्तान नहीं थी। राधु ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। श्यामा यह बिल्कुल नहीं चाहती थी पर दबाव में आकर वह मान गई। राधु ने गीता से शादी कर ली। गीता की एक लड़की पैदा हुई। एक साल बाद राधु ने गीता को भी घर से निकाल दिया। कहने लगा कि उसने लड़के के लिये गीता से शादी की थी। कई औरतों के साथ इस तरह का सुलूक होता है। उन्हें ऐसी स्थिति से बचना चाहिये।

कानून क्या कहता है?

- पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने में या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है। ऐसे पति को सात साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि वह सरकारी नौकरी करता हो तो नौकरी से निकाल दिया जायेगा।
- ऐसी दसूरी शादी कानून में शादी नहीं मानी जाती।
- पत्नी की 'सहमति' से की गई दूसरी शादी भी गैर-कानूनी है।
- दूसरी पत्नी को वास्तव में पत्नी का कोई हक कभी नहीं मिलेगा। उसे न तो खर्चा मांगने का हक होगा, न ही पति की संपति में कोई अधिकार मिलेगा।
- हां, अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी पत्नी से छिपाई गई हो, तो दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धोखे का मुकदमा कर सकती है। वह पति से मुआवजा लेने के लिए भी मुकदामा कर सकती है।

ऐसी दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को पिता की संपति में वह सभी हक मिलेंगे जो कि जायज औलाद को मिलते हैं।

मीना और जितेन्द्र की शादी हुए दस साल हो गए थे। उनके तीन बच्चे थे। जितेन्द्र सुनीता नाम की लड़की से मिलने लगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने अपना धर्म बदल लिया और इस्लामी कानून के अनुसार शादी कर ली। मीना ने जितेन्द्र पर मुकदमा दायर कर दिया। जितेन्द्र ने कहा कि क्योंकि अब वह मुसलमान बन गया है, इसलिए उसे दोबारा शादी करने का अधिकार है। कोर्ट के फैसले के अनुसार-

- जिस धर्म के कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति की शादी होती है, उसी धर्म के शादी का कानून लागू होगा। यानि जितेन्द्र की शादी अगर हिन्दू धर्म के कानून में हुई थी तो वह बिना मीना से तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकता।
- धर्म परिवर्तन के बाद की गई शादी गैर-कानूनी और अमान्य है।

बाल विवाह- कानूनी अपराध

कम उम्र के बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आता है। इसलिए कानून में शादी करने की भी एक उम्र तय की गई है। इस उम्र से कम उम्र की हुई शादी को बाद विवाह कहते हैं।

बाल विवाह क्या है?

अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो, वह बाल विवाह कहलाता है। ऐसी शादी कानून में मनाही है। ऐसी किसी शादी के कई परिणाम हो सकते हैं-

- 18 साल से अधिक उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है ता उसे दो साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं।
- शादी करने वाले जोड़े में से जो भी बाल हो, शादी को कोर्ट से रद्द (अमान्य या शून्य) घोषित करवा सकता है। शादी के बाद कभी भी कोर्ट में यह अर्जी दी जा सकती है, पर बालिग हो जाने के दो साल बाद नहीं।
- जो भी बाल विवाह सम्पन्न करे या करवाए जैसे- पंतिड, मौलवी, माता-पिता, रिश्तेदार, दोस्त, इत्यादि, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो कसते हैं।
- जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चा है, यदि बाल विवाह करवाता है चाहे वह माता-पिता, अभिभावक या कोई और उसे

दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- ❖ जो कोई व्यक्ति बाल विवाह को किसी तरह का बढ़ावा देता है या जानबूझकर लापरवाही से उसे रोकता नहीं, जो बात विवाह में शामिल हो या बाल विवाह की रस्मों में उपस्थित हो, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इस कानून में किसी महिला को जेल की सजा नहीं दी जा सकती, केवल जुर्माना हो सकता है।

- ❖ अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शाी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- ❖ बाल विवाह को शून्य घोषित करने की अर्जी उसी जिला अदालत में की जाएगी जहां तलाक की अर्जी दी जा सकती है।

बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है?

- ❖ कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह की जानकारी हो, अपने इलाके के मेट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकता है। यह फौजदारी कोर्ट है जो शादी को रोकने का आदेश दे सकता है।
- ❖ जिला के कलेक्टर/डी.एस. भी बल विवाज को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं।
- ❖ यह जानकारी थाने में भी दी जा सकती है।
- ❖ रोकने के आदेश के बावजूद सम्पन्न की गई शादी शून्य होगी यानि कानून की नजर में शादी नहीं मानी जाएगी।

  बाल विवाह को रोकने के आदेश दिए जाने के बाद भी अगर कोई बाद विवाह करवाता है तो उसे दो साल की साधारण या कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- ❖ किसी नाबालिग की शादी उसका अपहरण करके, उसे बहला-फुसला कर या जोर-जबरदस्ती से कहीं ले जाकर या शादी के लिए या शादी के रस्म के बहाने बेचकर या अनैतिक काम के लिए की जाए, तो ऐसी शादी भी शून्य मानी जाएगी।

सरकार द्वारा ''बाल विवाह निषेध अधिकारी'' नियुक्त किए जायेंगे जो बाल विवाह को रोकने के कदम उठायेंगे।

समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे पंचायत सदस्य, कोई अधिकारी या गैर सरकारी संस्था के सदस्य को बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

विशेष विवाह काननू

धार्मिक रीति-रिवाजों से तो विवाह हो ही सकताहै। परन्तु यदि कोई इन रीति-रिवाजों से हटकर विवाह करना चाहता हो, तो वह क्या करे? या फिर दो अलग-अलग धर्म के लोग, धर्म बदले बिना विवाह करना चाहते हों, तो वे विवाह कैसे करे? ऐसी स्थितियों के लिए एक अलग कानून है जिसका नाम है **''विशेष विवाह अधिनियम, 1954''।**

इस कानून के अनुसार विवाह कौन कर सकता है?

कोई भी दो व्यक्ति इस कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाह के लिए व्यक्ति के निजी ध र्म का कोई मायने नहीं।

आशा और अरूण हिन्दू धर्म को मानते हैं? वे दोनों विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह कर सकते हैं।

गोपी हिन्दू धर्म को मानता है और सलमा का मजहब इस्लाम है। वे दोनों विशेष विवाह कानून के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।

जफर और सबीहा दोनों मुसलमान हैं। वे दोनों चाहे तो इस कानून के मुताबिक शादी कर सकते हैं।

कैथरीन और जोजफ ईसाई धर्म को मानते हैं। उनकी शादी इस कानून के मुताबिक हो कसती है।

रूही मुसलमान है और पीटर ईसाई है। वे दोनों इस कानून के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।

राकेश एक हिन्दू है। वह एक ईसाई लड़की प्रेमा से शादी करना चाहता है। राकेश और प्रेमा भी बिना अपना धर्म

त्यागे इस विशेष कानून के अनुसार शादी कर सकते हैं।

जो दो व्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत विवाह करना चाहते हों, उन्हें निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी।

- ❖ दोनों में से कोई भी शादीशुदा न हो। यानि, एक जीवित पत्नी अथवा एक जीवित पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं रचाई जा सकती है। हां, विधवा-विधुर या तलाकशुदा व्यक्ति इस कानून में शादी जरूर कर सकते हैं।
- ❖ दोनों में से कोई भी पागलपन के कारण विवाह के लिए सहमति या रजामन्दी देने में असमर्थ न हो।
- ❖ दोनों में से कोई भी ऐसी दिमागी बीमारी का शिकार न हो, जिससे कि वह शादी के लिए सहमति तो दे सके, परन्तु शादी निभाने के या परिवार बढ़ाने के काबिल न हो।
- ❖ दोनों में से किसी को असाध्य पागलपन न हो।
- ❖ शादी करने वाले पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिये और महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- ❖ शादी करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, जैसे कि माता, पिता, भाई, बहिन, भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजा, नानी, दादी इत्यादि। जिन लोगों से विवाह नहीं किया जा सकता, उनकी सूची इस कानून में दी गई है।

विशेष विवाह किस तरह सम्पन्न होता है?

विशेष विवाह सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन्हें 'विवाह अधिकारी' कहते हैं और इनका कार्यालय आमतौर पर जिला की कचहरी (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) में होता है।

विवाह किस जिले में सम्पन्न हो सकता है?

जिस जिले में विवाह करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति विवाह की सूचना की तारीख से पहले कम से कम 30 दिन से रहा हो, वहां विवाह हो सकता है।

इस प्रकार के विवाह के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं :-

- ❖ **विवाह करने के इरादे की सूचना-**

  विवाह करने वाले व्यक्ति अपने इस इरादे की लिखित सूचना देंगे। इस सूचना का एक फार्म मिलता है। यह फार्म भर कर, विवाह अधिकारी को देना होगा। फार्म में अपने नाम, पता, आयु, व्यवसाय, इत्यादि जरूरी सूचनाएं लिखनी होंगी।

- ❖ सूचना मिलने पर, विवाह अधिकारी अपनी किताब में यह सूचना दर्ज करेंगे फिर उस सूचना को प्रसारित करेंगे। यानि सूचना को अपने कार्यालय के किसी मुख्य स्थान पर लगायेंगे।
- ❖ सूचना के प्रसारण के 30 दिन बाद ही विवाह सम्पन्न किया जायेगा। यह 30 दिन का समय इसलिए दिया जाता है, कि कोई व्यक्ति चाहे, तो विवाह की शर्तें पूरी न होने का दावा कर सकता है। जैसे-विवाह करने वालों की उम्र 21 या 18 साल से कम है, या उनकी पहले शादी हो चुकी है, इत्यादि।

  यदि ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता तो 30 दिन के बाद विवाह सम्पन्न किया जायेगा।

- ❖ तीस दिनों का मसय पूरा होने के बाद प्रार्थियों को दो महीने के अन्दर शादी करनी पड़ेगी अथवा उन्हें नया नोटिस देकर पूरी कार्यवाही दुबारा से करनी पड़ेगी।
- ❖ विवाह सम्पन्न होने के पहले दोनों व्यक्यिों को एक फार्म में घोषणा करनी होगी कि वह विवाह की सब शर्तें पूरी करते हैं। गलत घोषणा देने से सजा व जुर्माना हो सकता हैं।
- ❖ विवाह का स्थान विवाह अधिकारी के कार्यालय में हो सकता है। विवाह अधिकारी को अर्जी देकर और कुछ शुल्क देकर, किसी और स्थान पर या घर पर भी विवाह किया जा सकता है। विवाह के समय तीन गवाहों का होना जरूरी है। विवाह करने वाले चाहें तो किसी भी प्रकार की रस्म कर रकते हैं। परन्तु उस रस्म के साथ-साथ ये शब्द कहने आवश्यक हैं- ''मैं (अपना नाम), आप (पुरुष या महिला का नाम) को अपना/अपनी कानूनन पति/पत्नी मानती

हूं/मानता हूं।''

यह शब्द बोलने के बाद विवाह सम्पन्न हो जाता है और विवाह अधिकारी इसे अपनी किताब में हस्ताक्षर करेंगे।

इस प्रकार विवाह करने से क्या लाभ हो सकता है?

इस प्रकार के विवाह से कई लाभ हो सकते हैं, जैस कि :-

- ❖ विवाह सरल तरीके से हो सकता है।
- ❖ विवाह सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनकी किताब में लिखा जाता है। विवाह का प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) भी मिलता है। इसलिए बाद में ऐसे विवाह को कोई भी पक्ष नकार नहीं सकता। शादी का प्रमाण पत्र शादी का पक्का सबूत होता है।
- ❖ दो अलग-अलग धर्मों के व्यक्ति बिना अपने धर्म के बदले विवाह कर सकते हैं।
- ❖ विशेष विवाह कानून के अनुसार शादी करने से सभी व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, एक ही तरह के तलाक के आधार मिलते हैं।

विशेष विवाह कानून में कौन-कौन से तलाक के आधार मिलते हैं?

इस कानून में निम्न तलाक के आधार मिलते हैं :-

- ❖ व्यभिचार या शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक सम्बन्ध जोड़ना।
- ❖ दो साल तक लगातार परित्याग।
- ❖ किसी अपराध के लिये साल साल या अधिक की सजा काटना।
- ❖ क्रूरता यानि शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार।
- ❖ पागलपन या अन्य किस्म की मानसिक बीमारी।
- ❖ छूट से होने वाले रतिरोग।
- ❖ कोढ़े।
- ❖ सात साल तक लापता होना।
- ❖ पति शादी के बाद बलात्कार या बदकारी का अपराधी हो।
- ❖ कोर्ट ने पति को खर्चा-पानी देने का आदेश दिया हो, और उस आदेश के बाद एक साल से अधिक समय से पति-पत्नी अलग रह रहे हों।
- ❖ आपसी समझौते से तलाक, यानि जहां पति-पत्नी दोनों मिल के अर्जी दें कि वे एक साल से ऊपर साथ नहीं रहे और वे दोनों शादी को खत्म करना चाहते हैं। इसमें कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

खर्चे-पानी की व्यवस्था

'खर्चे पानी' का मतलब है भरण-पोषण या जीवन बसर करने के साधन, जैसे-रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा इत्यादि।

हमारे समाज में अधिकांश महिलायें खर्चे पानी के लिए विवाह से पहले अपने पिता पर और विवाह के बाद अपने पति पर निर्भर रहती हैं। अगर स्त्री अपने पति से तलाक लेती है तो प्रश्न यह उठता है कि उसका खर्चा पानी कौन देगा? असल में इसी मुद्दे को लेकर बहुत सी महिलायें न चाहते हुए भी अपने पति साथ दु:खी होकर विवाहित जीवन बिताना जारी रखती हैं।

कुछ आदमी अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं या तलाक दे देते हैं। कुछ पति साथ रहते हुए भी पत्नी और बच्चों को खर्चा-पानी नहीं देते। इस स्थितियों में स्त्री बेसहारा या मजबूर न बन जाये इसके लिए भी कानून में व्यवस्था की गई है। तलाकशुदा स्त्री को भी पति से अपने और अपने बच्चों के लिए खर्चा-पानी प्राप्त करने का अधिकार है।

खर्चा-पानी कौन देगा?

तलाक देने वाली अदालत आदेश जारी करगी कि पति-पत्नी को खर्चे-पानी की रकम देगा।

खर्चा कितना और किस हिसाब से दिया जाता है?

खर्चा देने के लिए अदालत इन बातों को ध्यान में रखती है :-

- ❖ औरत अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने में असमर्थ हैं।
- ❖ आदमी की आमदनी या जायदाद कितनी है।
- ❖ औरत की आवश्यकताएं क्या हैं।

परिस्थितियों को देखते हुए अदालत खर्चे की रकम इकट्ठे या मासिक रूप से देने का आदेश दे सकती हैं।

यह खर्चा कब तक मिलता है?

- ❖ जब तक खर्चा पाने वाला जिन्दा रहता है।

अगर कोई स्त्री खर्चा पाने के बाद दोबारा शादी कर ले, तो क्या तब भी उसे खर्चा मिलता रहेगा?

नहीं! उस हालत में खर्चा देने वाला अदालत की मंजूरी लेकर खर्चा देना बन्द कर सकता है। यदि तलाकशुदा स्त्री किसी और से शरीरिक संबंध रखती है तो भी खर्चा बन्द हो सकता है। अगर स्त्री अपने बच्चों को पालन-पोषण कर रही हो तो उनका खर्चा पति को हर हालत में देना पड़ेगा।

तलाकशुदा स्त्री को खर्चे की रकम कौन-सी अदालत दिलवायेगी?

जिस अदालत में तलाक लिया गया है, वही अदालत खर्चे की रकम दिलवा सकती है। तलाक की कार्यवाही के दौरान या उसके बाद, उसी अदालत में एक अर्जी देनी होगी और मुद्दों के साथ-साथ अदालत खर्चे के आदेश भी देगी।

पत्नी का खर्चे का अधिकार

पत्नी को पति से खर्चा लेने का अधिकार होता है। यदि पति पत्नी को खर्चा न दे, तो वह अदालत के जरिये पति से खर्चा ले सकती है। यह अधिकार हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनिमय, 1956 के अंतर्गत दिया जाता है।

यदि पत्नी किसी ठोस कारण से पति से अलग रहती हो, तो भी वह पति से खर्चा मांग सकती है। ऐसा ठोस कारण हो सकता है :-

- ❖ पति ने छोड़ दिया हो।
- ❖ पति के दुर्व्यवहार से डर के पत्नी अलग रहने लगी हो।
- ❖ पति को कोढ़ हो।
- ❖ पति की और कोई जीवित पत्नी हो।
- ❖ पति का किसी दूसरी औरत से अनैतिक संबंधन हो।
- ❖ पति ने धर्म बदल लिया हो।

पत्नी अगर व्यभिचारी हो या धर्म बदल ले तो वह खर्चा मांगने की हकदार नहीं रहती। (धारा 18)

विधवा को खर्चा पाने का अधिकार

(हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956)

हिन्दू विधवा अगर अपनी कमाई या सम्पति से अपना खर्चा नहीं चला सकती तो उसे इन लोगों से खर्चा मिलने का हक है।

- ❖ पति की सम्पत्ति में से या अपने माता-पिता से
- ❖ अपने बेटे या बेटी से या उसकी सम्पत्ति में से।

इस लोगों से यदि उसे खर्चा न मिले तो उसके ससुर को उसका खर्चा देना होगा। यदि वह दोबारा विवाह कर लेती है तो ससुर से खर्चा लेने का काई हक नहीं होगा। (धारा 19)

बच्चों, बूढ़े या दुर्बल माता-पिता का खर्चा पाने का अधिकार

बच्चों, बूढ़े या दुर्बल माता पिता को निम्नलिखित लोगों से हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिकार, 1956 के तहत निम्नलिखित लोगों से खर्चा-पानी पाने का हक है :-

- ❖ अविवाहित बेटी, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, को अपने माता-पिता से खर्चा मिलने का हक है।
- ❖ जायस और नारायज नाबालिक (18 साल से कम उम्र के) बच्चों को माता-पिता से खर्चा मिलने का हक है।
- ❖ बूढ़ा या शारीरिक रूप से दुर्बल मां-बाप को अपने बच्चों से (बेटे हो या बेटियां) खर्चा मिलने का हक है।
- ❖ यह खर्चा लेने का हक सिर्फ ऐसे लोगों को है जो अपनी कमाई या सम्पति में से अपना खर्चा नहीं चला कसते। (धारा 20)

खर्चा पाने के लिये दीवानी (सिविल) अदालत में अर्जी देनी होगी। इसके अलावा या इसके साथ साथ फौजदारी अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भी अर्जी दी जा सकती है। अगर कोई महिला अपना खर्चा उठाने में असमर्थ हो, तो फौजदारी कानून में खर्चे की अर्जी दे सकती है। यह खर्चा पति से, पिता से या अपने पुत्र से मांगा जा सकता है। अर्जी देने पर अदालत आदेश देगी कि उस महिला को हर महीने खर्चे के रूप में कुछ पैसे दिये जायें। किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा नोटिस जारी होने 60 दिन के अंदर अग्रिम खर्चा पानी देना शुरू हो जाना चाहिये। यह अर्जी पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में देनी होगी।

बच्चों की अभिरक्षा

तलाक के बाद बच्चों का क्या होगा?

तलाक के बाद पति-पत्नी अलग-अलग रहते हैं। इसलिए उनके बच्चों के सिलसिले में कुछ समस्यायें उठती हैं। बच्चे किसके पास रहेंगे? उनका खर्चा-पानी कौन उठायेगा और कब तक?

तलाक के समय स्त्री अदालत को अर्जी दे सकती है कि ये सब बातें भी तय की जायें।

सभी हालातों को देखकर अदालत तय करेगी कि बच्चा मां के पास रहेगा या अपने पिता के पास। अदालत यह जानने की कोशिश करेगी कि बच्चा खुद किसके पास रहना पंसद करता है। आमतौर से मां को कानूनी अधिकार है कि 5 साल का होने तक बच्चा उसी के पास रहे।

पांच साल की उम्र के बाद बच्चा किसके पास रहेगा इस बात का निर्णय अदालत बच्चे का हित ध्यान में रखते हुए लेगी।

बच्चे के हित का मतलब है, मां या पिता में से कौन बच्चे की देखभाल बेहतर कर सकता है। इसका मतलब बच्चे की जिस्मानी जरूरतें पूर करना जैसे कि खिलाना-पिलाना, स्कूल भेजना वगैरह और बच्चे की मानसिक व भावानात्मक जरूरतें पूरी करना जैसे कि खेलना, प्यार करना, उसके साथ बातें करना। बच्चे की भावनाओं को कौन अच्छी तरह समझ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।

अगर मां की अपनी कोई आमदनी न हो, तो क्या बच्चा उसे नहीं दिया जायेगा?

ऐसी बात नहीं है। बच्चे का हित अगर अपनी मां के पास रहने में है तो बच्चा मां को ही दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में बच्चा चाहे पिता के साथ न रहता हो, तो भी पिता को उसका खर्चा-पानी देना होगा।

पति अक्सर अदालत से कहते हैं कि बीवी का चरित्र बुरा है इसलिए उसे बच्चा नहीं दिया जाना चाहिये। तो क्या अदालत यह बात मानकर बच्चा मां को सौंपने से इन्कार रकेगी?

अदालत मां को बच्चा सौंपने से तभी इन्कार करेगी जब उसे वास्तव में जानकारी मिले कि-

- ❖ मां का चरित्र बुरा है सिर्फ किसी स्त्री को बुरे चरित्रवाली कहने से उसका चरित्र बुरा नहीं माना जा सकता है। स्त्री अगर किसी पुरुष के साथ दिखाई भी दे तब भी इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उसका चरित्र बुरा है। या
- ❖ मां किसी दिमागी रोग की मरीज है, जिससे कि बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। या
- ❖ अगर और कोई ऐसा कारण हो जिससे बच्चे को हानि पहुंच कसती है, तो भी अदालत बच्चा सौंपने से इन्कार कर

सकती है।

सम्पत्ति का अधिकार

हमारे कानून हमें यह हक देता है कि हम अपने लिये, अपने नाम से जायदाद खरीद सकें। आदमियों की तरह ही औरतों को भी सम्पत्ति का मालिक होने का हक है।

कानून के अनुसार :-

- ❖ हर औरत को अपने लिये, अपने नाम से सम्पत्ति खरीदने और रखने का अधिकार है।
- ❖ कोई औरत अपनी सम्पत्ति का जो चाहे कर सकती है चाहे वह सम्पत्ति उसे मिली हो, या उसकी कमाई की हो।
- ❖ हर औरत को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह खुद ले। वह पैसों से जो भी करना चाहे कर सकती है।
- ❖ औरतों को भी यह अधिकार है कि आदमियों की तरह वे भी सम्पत्ति खरीदें या बेचें।
- ❖ औरतों को अपने माता-पिता या दूसरे रिश्तेदारों की सम्पत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है। उनको किससे और कितना हिस्सा मिल सकता है यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है वह कानून जो किसी के समुदाय पर लागू होता है।

सम्पत्ति में क्या-क्या चीजें शामिल हैं?

मीता के पिता ने उसकी शादी के समय उसे कुछ सोने की चूड़ियां और एक सिलाई मशीन दी थी। वे चूड़ियां और सिलाई मशीन मीता की सम्पत्ति है।

अमीना एक व्यापारी के यहां शालों पर कढ़ाई करती है। उसे हर साल की कढ़ाई के 50/-रुपये मिलते हैं। अमीना की यह कमाई उसकी सम्पत्ति है।

जसबीर कौर के नाना ने उसे अपना छोटा सा खेत दान में दिया। वह खेत जस्बीर कौर की सम्पत्ति है।

लिजी एक मिल में काम करती है। अपनी कमाई से उसने कामगार कालोनी में एक घर खरीदने का फैसला किया। उसने पति डेविड ने कहा- ''यह घर मेरे नाम से होना चाहिए क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूं।'' लेकिन लिली को अपने नाम से घर लेने का पूरा अधिकार है। वह उसके लिये और उसके बच्चों के लिए सुरक्षा है।

अब हम निजी कानून में जायदाद के अधिकारों को विस्तार से दखेंगे।

हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति के अधिकार

माला और आशा बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ती थी और तब से अच्छी सहेलियां हैं। अब माला एक वकील है और आशा एक स्कूल में पढ़ाती है। लम्बी बीमारी के बाद एक दिन आशा के पिता की मृत्यु हो गयी। जब माला उसके घर अफसोस करने गयी तो आशा बोली- 'पिताजी की मृत्यु के बाद से मेरा भाई माधव घर की सभी औरतों से अच्छा व्यवहार नहीं करता। घर में दादी, मां, भाभी, मेरी विधवा बहन गौरी और छोटी बिमला हैं। माधव घर चलाने के लिए पूरे पैसे भी नहीं देता है और कहता है कि सारी सम्पत्ति उसकी है।''

माला बोली- ''क्यों? क्या पिताजी वसीयत में सब कुछ उसके नाम लिख गये हैं?''

आशा ने पूछा- ''वसीयत क्या होती है?''

माला ने कहा- ''वसीयत एक कागज होता है जिसमें कोई व्यक्ति यह लिखता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पति किसे दी जाये।''

तब आशा बोली- ''नहीं! पिताजी ने तो कोई वसीयत नहीं लिखवायी थी।''

माला बोली- ''अच्छा। फिर तो उनकी सम्पत्ति का हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956' के अनुसार होगा।'' यह एक कानून है जिसमें कुछ निमय तय किय गये हैं। ये नियम बताते हैं कि हिन्दू पुरुषों और स्त्रियों की सम्पत्ति का उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा।

9 सितम्बर 2005 तक कानून के अनुसार :-

- ❖ खानदानी सम्पत्ति वह सम्पत्ति होती थी जो हिन्दू पुरुष को अपने पुरुष पूर्वजों से मिलती थी।
- ❖ किसी भी हिन्दू पुरुष का जन्म से ही अपने परिवार की खानदानी सम्पत्ति पर अधिकार होता था।
- ❖ लड़कियों का खानदानी सम्पत्ति से जन्म से कोई अधिकार नहीं था। उन्हें खानदानी सम्पत्ति में से खाने-पीने, रहने, पढ़ाई व शादी का खर्चा मिलने का हक था।

अब इस कानून में बदलाव आया है।

इस बदलावा के अनुसार-

- ❖ लड़कियों को खानदानी सम्पत्ति में उसी प्रकार जन्म से अधिकार हैं जैसे किसी हिन्दू पुरुष को।
- ❖ यदि कोई खानदानी सम्पत्ति दिनांक 20 दिसम्बर 2004 से पहले बेची या वसीयत की गई है वह कानून इस सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।
- ❖ यदि कोई खानदानी सम्पत्ति का बंटवारा कोर्ट द्वारा या किसी रजिस्टर्ड डीड से हुआ है तब यह कानून इस सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।
- ❖ खानदानी सम्पत्ति में से कोई व्यक्ति अपने हिस्से की वसीयत मृत्यु के बाद खानदानी सम्पत्ति में उसके अपने हिस्से का क्या किया जाये।
- ❖ लेकिन अगर उसने अपने हिस्से की वसीयत न लिखी हो तो, उसके हिस्से की सम्पत्ति उसके वारिसों में बराबर-बराबर बंट जाएगी। पुरुष के पहले दर्जे के वारिस हैं।
- ❖ उसके बेटे
- ❖ उसकी बेटियां
- ❖ उसकी पत्नी
- ❖ उसकी मां
- ❖ उसके मरे हुए बेटों के बच्चे
- ❖ उसके मरी हुए बेटियों के बच्चे
- ❖ उसकी विधवा बहुएं
- ❖ उसके मरे हुए पोतों के बच्चे।

  यदि इनमें से कोई वारिस न हो, तो सम्पत्ति उसके अन्य सगे-संबंधियों को मिलेगी।

- ❖ कोई व्यक्ति (पुरुष या महिला) अपनी कमाई की सम्पत्ति की भी वसीयत लिख सकता है। तब उसकी सम्पत्ति उसी को मिलेगी जिसका नाम वसीयत में होगा।
- ❖ पर यदि वसीयत न लिखी हो तो उसकी अपनी कमाई की सम्पत्ति भी उसके ऊपर दिए वारिसों में बांटी जाएगी। सबको बराबर हिस्सा मिलेगा- लड़का हो या लड़की।

माला- अच्छा आशा आप कितने भाई व बहन हो?

आशा- राम भईया, माधव, मेरी बहन रेखा और मैं।

माला- तो, तुम्हारी खानदारी सम्पत्ति तुम्हारे पिता, तुम्हारे दोनों भाई और दोनों बहनों की है।

आशा ने कहा - अच्छा! 9 सितम्बर 2005 से पहले हमारे परिवार की खानदानी सम्पत्ति के तीन बराबर हिस्से होते-बाबूजी का, मेरे भाई राम का और दूसरे भाई माधव का। बाबूजी को मिले 1/3 हिस्से में से हम सब यानि कि मां, दादी, मेरी विधवा भाभी, मेरा भाई माधव, मेरी बहन और मुझे बराबर का हिस्सा मिलता। ठीक है ना? लेकिन कानून के बदलने के बाद खानदानी सम्पत्ति में मेरे पिता और भाईयों के साथ मुझे बराबर का हिस्सा मिलेगा।

आशा के फिर पूछा- पर हमने तो सुना है कि लड़कियों का पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि उनकी शादी में खर्चा किया जाता है।

माला ने समझाया– पुराने कानून के मुताबिक लड़कियों को सिर्फ खर्चे का अधिकार था। सन् 1956 के बाद अब सम्पत्ति में हिस्से का भी अधिकार है, चाहे शादी में खर्चा किया हो या नहीं और 2005 के बाद नए कानून के अनुसार लड़कियों को खानदानी सम्पत्ति में भी अपना हिस्सा मिलेगा।

आशा में पूछा– क्या हम अपने हिस्से का कुछ भी कर सकते हैं?

माला ने बताया–

❖ तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा अपना है और तुम उसका जो चाहे कर सकती हो।

❖ वर्ष 1956 के पहले के काननू में हिन्दू स्त्रियों को ऐसी सम्पत्ति पर पूरा अधिकार नहीं था। उन्हें सिर्फ उनके जिन्दा रहने तक सम्पति को इस्तेमाल करने का हक था। पर 1956 के बाद से औरतों का सम्पत्ति पर पूरा हक है।

❖ कोई औरत चाहे तो इसे बेच सकती है, चाहे तो किसी को दे सकती है या वसीयत में किसी के नाम छोड़ सकती है।

❖ अगर विधवा दूसरी शादी कर ले, तो भी गुजरे हुए पति से मिली सम्पति उसकी अपनी ही रहेगी।

आशा की मां– यह बताओ कि इस समय हम जिस घर में रह रहे हैं उसका क्यो होगा? माधव तो कहता है कि यह पूरीा घर उसका है। क्या वह हमें घर से बेदखल कर सकता है।

माला ने समझाते हुए कहा– ''पर चाची वह ऐसा नहीं कर सकता है। कानूनन ऐसी स्थिति में माधव जैसे व्यक्ति की मां, दादी मां, अविवाहित बहनें, भाई, उनके बीवी–बच्चे, विधवा या पति द्वारा छोड़ी हुई बहनें, विधवा भाभी सभी उस घर में तब तक रह सकते हैं जब तक कि घर है। इस घर में रहने का हक आपको, दादी को, राम भैया की बीवी और बच्चों को, गौरी को और बिमला को भी है। माधव आपको यहां से नहीं निकाल सकता।''

आशा ने पूछा– ''क्या इसका मतलब यह है मुझे यहां रहने का अधिकार नहीं है?''

माला ने बताया– ''नहीं, शादी के बाद तुम यहां हक के तौर पर तो हमेशा नहीं रह सकती हो। हां तुम्हें यह हक है कि घरवालों से मिलने आया करो। जब मकान बिक जायेगा तो तुम्हें अपने हिस्से के पैसे मिल जायेंगे।

गौरी ने पूछा– ''मैं तो विधवा हूं। माधव कहता है कि मैं उस परिवार की हूं जहां मेरा विवाह हुआ था। वह मुझे भी घर से निकालने की धमकी दे रहा है।''त्र

इस पर माला ने समझाया– ''नही, वह ऐसा नहीं कर सकता। अगर वह तुम्हें निकालने की कोशिश करता है तो तुम्हें कोर्ट में अर्जी देने चाहिये। कोर्ट माधव को ऐसा करने से रोक देगा। अगर ऐसा होने की संभावना लगे तब तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।''

आशा की मां ने कहा– ''मुझे लगता है कि माधव हमें हमेशा तंग करता रहेगा। अच्छा तो यही होगा कि हम इस घर के हिस्से कर लें। हम सारी औरतें से साथ रहकर गुजारा कर लेंगी।''

खानदानी सम्पत्ति का कोई भी हकदार घर के बंटवारे की मांग कर सकते हैं। आशा भी बंटवारे की मांग कर सकती है।

फिर आशा ने पूछा– ''एक बात और बता माला, माधव कहता है कि दादी, मां, गौरी और भाभी के गहने परिवार की सम्पत्ति हैं। क्या यह सच है?''

इस पर माला ने बताया– '' नहीं गहने या कोई अन्य उपहार जो किसी औरत को दिये जाते हैं, स्त्रीधन कहलाता है। उस पर हमेशा स्त्री का ही अधिकार होता है। स्त्री का उन पर पूरा अधिकार होता है। स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह अपने स्त्रीध ान का जैसा चाहे उपयोग करे। वह चाहे उसे बेच दे, चाहे किसी को दान करे दे। बंटवारे की बात सिर्फ उस सम्पत्ति की है जो पिताजी छोड़ गये हैं। स्त्रीधन बंटवारे से परे है और उस पर सिवाय उस स्त्री के जिसके गहनें आदि हैं किसी और का कोई हक नहीं है।''

आशा की मां ने एक और प्रश्न किया– ''अगर आशा के पिताजी वसीयत छोड़ जाते हैं तो क्या हमें ज्यादा हिस्सा मिलता?

माला ने बताया– ''यह इस बात पर निर्भर करता है कि वसीयत में लिखा क्या है। कोई व्यक्ति वसीयत में अगर अपनी सम्पत्ति किसी के नाम कर दे तो, जिनका नाम वसीयत में न हो उनका उस पर कोई हक नहीं होता है।''

आशा कहने लगी– ''मेरी सहेली के पिता ने अपनी सारी सम्पत्ति अपनी बहू के नाम कर दी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि

उनका शराबी बेटा उनके परिवार को नहीं संभाल पायेगा।''

माला ने कहा– ''हां वसीयत बनाते समय व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिये कि उसकी सम्पत्ति सही लोगों के पास जाये।''

दीदी बोली– ''बेटी, क्या औरतें भी वसीयत लिख सकती है?''

माला ने कहा– ''हां दीदी जरूर। हर व्यक्ति को पुरुष हो या महिला, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सम्पत्ति की वसीयत करने का हक है।''

आशा की मां ने पूछा– ''अगर कोई औरत वसीयत न लिखे, तो उसकी सम्पत्ति का क्या होगा?''

माला बोली– ''किसी हिन्दू स्त्री के मरने पर उसकी सम्पत्ति उसके वारियों को मिलेगी। औरत के पहले दर्जे के वारिस है।

- ❖ बेटा
- ❖ बेटी
- ❖ पति
- ❖ गुजरे हुए बेटे या बेटी के बच्चे।

इनमें से कोई वारिस न हो तो औरत के पति के रिश्तेदारों को सम्पत्ति मिलेगी।

वसीयत कैसे लिखें

- ❖ अपना पूरा नाम लिखें
- ❖ अपने पिता या पित का नाम लिखें
- ❖ अपना पूरा पता लिखिये
- ❖ अपनी जायदाद के बारे में विस्तार से लिखिये।
- ❖ जिन्हें जायदाद देना चाहती है उनका नाम और पता साफ तरीके से लिखिये।
- ❖ यह जरूर लिखिये की वसीयत आप अपनी खुली जर्मी से बिना दबाव के और पूरी होश में लिख रही हैं।
- ❖ वसीयत लिखने की तारीख डालिये।
- ❖ वसीयत पर हस्ताक्षर कीजिये।
- ❖ दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम और पता होना चाहिये।

याद रखिये, वसीयत से सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु के बाद जायदाद किसी को मिल सकती है।

केवल वसीयत लिखने से कोई आपकी सम्पत्ति का हकदार नहीं हो जाता।

वसीयत किसी साधारण कागज पर लिखी जा सकती है। इसे लिखने के लिये वकील की जरूरत नहीं है। हां, सही ढंग से लिखने के लिये वकील की सहायता ले कसते हैं।

वसीयत को पंजीकृत (रजिस्टर) करवाना जरूरी नहीं। हां, पंजीकृत करवाने से वसीयत गुम नहीं हो सकती, न ही गलत हाथों में पड़ सकती है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –